

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू,  
शयोराज वगै० बनाम केली वगै०  
किरम मुकदमा-आवेदन अन्तर्गत धारा 251-ए  
प्रकरण संख्या 01 सन् 2023

2023/242

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13.01.23	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रथीगण उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 07.02.2023 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)	34-43 13.01.23
07/23	02 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 05/04/23 को पेश हो	
05/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राधीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.05.23 को पेश हो।	
07/23	02 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 12/11/23 को पेश हो	
12/23	07 पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 06/09/23 को पेश हो	
06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राधी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 08.11.2023 को पेश हो।	
8/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राधी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 27/11/23 को पेश हो।	
27/23	12 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राधी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 29.12.23 को पेश हो।	



FORM NO. III'

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम .....  
 शूरीराज ..... बनाम ..... केली देवी  
 दिनांक ..... 01 ..... मा. 2023

ख .....  
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नया च तारीख  
 अहकाम जो हुक  
 हुकम की तारीख  
 में जारी हू।

06/25 पत्रानली पेश हुई। अधिवक्ता कमी/प्रवासी  
 अधिवक्ता/पी.ओ. साहब साजकारों में बसता/  
 उक्तका पर/अधिवक्ता/रिजि. होने के कारण  
 पत्रानली पर अधिवक्ता अनुपस्थित विनियम  
 09/07/85 के तहत

9/25 पत्रानली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवासी उपस्थित  
 इनामा (मालकी) में पत्रानली दिनांक 24-9-25  
 को पेश हो।

24/25 पत्रानली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवासी अनुपस्थित।  
 पत्रानली में अनुपस्थित रहे। बार-2 आगामे  
 लगायी गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम  
 आगामे समय: 5:00 बजे लगायी गई, परन्तु कोई  
 उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रानली अफस हाजरी  
 अफस पैखी में खासिय की जाती है। पत्रानली  
 निर्णित शुमार चेकर दफ्तर दाखिल हो एवं  
 निगमानुसार नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
 पीपलू जिला टोंक